सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

(नियम–20)

# अजलास अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| किशनीदेवी पत्नी मालाराम<br>जाति जाट, निवासी बुढातला<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | कलाराम पुत्र फुसाराम<br>जाति जाट, निवासी बुढातला<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>वगैरा (09) |

**किस्म मुकदमा** राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** 378/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.08.2025 | प्रार्थीनी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बुढातला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 528 रकबा 8.8869 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी में पक्षकारान् के हिस्से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है तथा उसी अनुसार प्रार्थीनी अपने हिस्सा की भूमि में काबिज होकर काश्त करते आ रही है। प्रार्थीनी विवादित आराजी की रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है। पक्षकारान् के मध्य मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी के खातेदारी हिस्सा एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नव निर्माण कार्य कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीनी के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थीनी को बेदखल किया जाता है अथवा मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है अथवा विभाजन पूर्व भूमि का अजनबी क्रेताओं को बैचान कर कब्जा दिया जाता है तो इससे प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीनी के पक्ष में होने से प्रार्थीनी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें।<br>हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी को कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर उन्हे बेदखल किया जाता है अथवा उनके हक हिस्सा की भूमि पर जबरन कब्जा किया जाता है अथवा निर्माण किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता, साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशका रहेगी तथा प्रार्थीनी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।<br>सहायक कलक्टर<br>शिव (बाड़मेर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय ह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1.5.26 | पत्रावली पेश हुई। पार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशेकानुसार दिनांक 6.5.26 को पेश हो। | |
| 6.5.26 | पत्रावली पेश / प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली में पैरवी हेतु प्रार्थी व प्रार्थी वकील को न्यायालय समय में रूक--रूककर आवाजे दी जाने के बावजुद कोई उपस्थित नही। अत: पत्रावली में प्रभावी पैरवी नही होने तथा अनुपस्थित रहने पर पत्रावली इसी स्टेज पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। <br> सहायक कलक्टर <br> शिव (बाड़मेर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner